

कार्यालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़

क्रमांक—

दिनांक—

“कार्यालय आदेश”

श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक F-17(10) Q.Edu / 2022-00494-2429645 दिनांक 18.8.26 एवं राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.3.21 की पालना में विद्यालयों में सत्र 2026-27 में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या सम्बल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय समितियों का गठन किया जाता है—

(अ) जिला स्तरीय समिति

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ – अध्यक्ष
(जिला कलक्टर द्वारा नामित)
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) माध्यमिक हनुमानगढ़— विभागीय नोडल अधिकारी/ सदस्य सचिव
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, हनुमानगढ़ – सदस्य
4. प्राचार्य, डाइट हनुमानगढ़ – सदस्य
5. लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय कार्यालय जिशिअ (मु0) माध्यमिक हनुमानगढ़ – सदस्य

उक्त समिति परिपत्र में निर्धारित पदों की स्पष्ट रिक्तियों का आकलन कर ब्लॉकवार, ग्रेडवार व विषयवार रिक्तियों का आकलन कर दिनांक 29.8.2026 तक विज्ञप्ति जारी करेगी। सदस्य सचिव/नोडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) माध्यमिक हनुमानगढ़ निर्धारित दिनांक तक विज्ञप्ति जारी करना तथा अभ्यर्थियों के आवेदन की अन्तिम तिथि 04.9.2026 तक आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ब) उपखण्ड स्तरीय समिति

1. उपखण्ड अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनित अधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – ब्लॉक नोडल/सदस्य सचिव
3. अति.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी— कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
4. संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
5. लेखा अधिकारी/लेखाकार कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य

उक्त समिति ब्लॉक परिक्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की ग्रेडवार/विषयवार/विद्यालयवार सूची तैयार कर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्या करेगी तथा रिक्त पदों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। चयन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करेगी। गेस्ट फ़ैकल्टी के कार्य की समुचित मोनेटरिंग, मानदेय भुगतान व अभिलेखों के उचित संधारण हेतु संस्था प्रधानों को समुचित निर्देश प्रदान करेगी एवं समय समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

(स) पंचायत स्तरीय चयन समिति

(परिपत्र दिनांक 30.3.2021 के बिन्दु संख्या-04 (क) के अनुसार)

1. सम्बन्धित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) – अध्यक्ष
2. PEEO विद्यालय के उप प्राचार्य/वरिष्ठतम व्याख्याता – सदस्य
3. पीईईओ परिक्षेत्र से सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक जहां रिक्त पद पर गेस्ट फैकल्टी को रखा जाना है – सदस्य
4. PEEO विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम मंत्रालयिक कार्मिक – सदस्य

उक्त पंचायत स्तरीय समिति द्वारा विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक तक इच्छुक आवेदकों/अभ्यर्थियों के आवेदन लिये जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के इन्द्रज हेतु विधिवत रजिस्टर का संधारण किया जाएगा एवं अभ्यर्थी को पावती रशीद दी जाएगी।

पीईईओ द्वारा स्वयं के विद्यालय के साथ-साथ परिक्षेत्र के विद्यालयों में वांछित रिक्त पदों की विषयवार/ग्रेडवार/विद्यालयवार सूची तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।

समिति प्राप्त आवेदनों की विषयवार/ग्रेडवार/विद्यालयवार स्कूटनी करेगी एवं दिनांक दिनांक 30.3.2021 के राज्य सरकार के परिपत्र के बिन्दु संख्या 04(क) (ख II) के अनुसार सेवा नियमों में अंकित योग्यता के आधार पर पात्रता सूची तैयार की जाएगी एवं पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। चयन समिति राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेगी।

परिपत्र में वर्णित दरों पर सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी बजट उपलब्धता की स्थिति में ही रखे जा सकेंगे।

नोट:-नगरीय निकाय चुनाव आचार संहिता के मददेनजर विद्या सम्बल योजना की प्रक्रिया केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू रहेगी।

(डा० खुशाल यादव) IAS
जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ।

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव मा० मुख्यमंत्री राज. सरकार।
2. श्रीमान संयुक्त सचिव माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
3. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद, हनुमानगढ
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर परिक्षेत्र, बीकानेर।
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला हनुमानगढ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, हनुमानगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) माध्यमिक/प्रारम्भिक हनुमानगढ।
7. प्राचार्य डाइट हनुमानगढ।
8. संबंधित जिला/ब्लॉक स्तरीय समिति सदस्य गण।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला हनुमानगढ।
10. समस्त पीईईओ जिला हनुमानगढ।
11. कार्यालय प्रति।

(डा0 खुशाल यादव) IAS
जिला कलक्टर, हनुमानगढ



कार्यालय जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक-एफ.25(3)()/विकास/2026/1863

दिनांक :- 24/08/2026

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
हनुमानगढ़।

विषय :- विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार का पत्रांक राजकाज रेफरेन्स संख्या 24116683 दिनांक 18.08.2026

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्रांक राजकाज रेफरेन्स संख्या 24116683 दिनांक 18.08.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर संबंधित कार्यालय को भिजवाते हुए कार्यालय हाजा को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।

(सुनील कुमार छाबड़ा)
प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा
कलैक्ट्रेट, हनुमानगढ़

॥ जिंदगी को हँ, नशे को ना कहें ॥

Gen. App. July 2026

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645

जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :- विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
24116683

Signature Not Verified
Digitally Signed by V.
Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date : 18-08-2026 06:06:07

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645

जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :- विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त / साविलेनि/ 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
24116683

Signature Not Verified
Digitally Signed by V.
Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date : 18-08-2026 06:06:07



राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनेल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनेल तैयार किया जाएगा। यह पैनेल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300 / -	21000 / -
ग्रेड-II	9 से 10	350 / -	25000 / -
ग्रेड-I	11 से 12	400 / -	30000 / -
अनुदेशक	-	300 / -	21000 / -
प्रयोगशाला सहायक	-	300 / -	21000 / -

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / -	45000 / -
सह आचार्य	1000 / -	52000 / -
आचार्य	1200 / -	60000 / -

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।



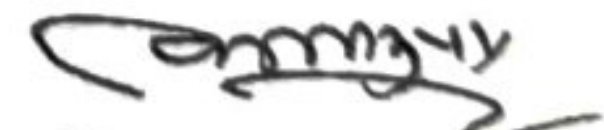
(डॉ. पूष्पी)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
16. रक्षित पत्रावली।



(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता